बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अनुसार पटना के वायु प्रदूषण से संबंधित आंकड़ों में वर्ष 2018 के कुल दिनों का 48 प्रतिशत वायु की गुणवत्ता सामान्य रही और 52 प्रतिशत वायु की गुणवत्ता अत्यन्त ही खराब, गंभीर और आपातकाल श्रेणी की रही। इस प्रकार पटना वासी वर्ष में 189 दिन गंभीर और आपातकाल श्रेणी की रही। इस प्रकार पटना वासी वर्ष 189 दिन गंभीर प्रदूषित हवा में रहे। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा जारी 'एयर क्वालिटी इंडेक्स' में माह दिसंबर पटना शहर देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर के रूप में रहा, जो सामान्य श्रेणी के लोगों के लिए अत्यंत ही घातक था। वायु प्रदूषण से सड़कों पर कार्यरत ट्रैफिक पुलिस में से अधिकांश के फेफड़े 25 प्रतिशत से ज्यादा खराब हो चुके हैं। शहर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 16 कारगर उपाय सरकार के द्वारा किये जाने थे, उनमें से एक भी कार्य नहीं हुए।

अत: मैं सरकार से, पटना, गया एवं मुजफ्फरपुर में प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए तत्काल ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान या आपातकालीन उपाय करने के संबंध में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- केदारनाथ पाण्डेय, स.वि.प.
ह0/- संजीव कुमार सिंह, स.वि.प. एवं
ह0/- संजय कुमार सिंह, स.वि.प.

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-37/2019- 362 (1) /वि.प.। पटना, दिनांक- 06.02.2019

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, माननीय उप-मुख्यमंत्री, बिहार सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 14.02.2019 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह) 06.02.2019
उप सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

बिहार उत्पाद अधिनियम- 1915 का संशोधन 31.03.2016 को बिहार उत्पाद अधिनियम, 2016 के तहत हुआ पुन: इसी अधिनियम का संशोधन 02.10.2016 को किया गया और इसका नामकरण बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 कहलाया। इसके तहत धारा-30 (धारा-47 के तदनुरूप) धारा-38 (धारा-54 के तदनुरूप) एवं धारा-76 में समरूप प्रावधान को सम्मिलित किया और इस अधिनियम में किये गए अपराध को गैर-जमानती एवं अजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। समयान्तराल इस कड़े प्रावधान को 30.07.2018 को अधिनियम-18 के तहत संशोधित किया गया और सजा को कमजोर एवं कम किया गया। लेकिन 01.04.2016 से 01.10.2016 तक की अवधि में सजा भोग रहे अभियुक्तों की सजा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जिससे इस अवधि के अभियुक्तों में भारी क्षोभ एवं असंतोष व्याप्त है।

अत: मैं सरकार से 30.07.2018 के संशोधित अधिनियम-2018 की भांति 01.04.2016 से 01.10.2016 तक सजा काट रहे अभियुक्तों की कठोर सजा को भी सहज एवं कम करने पर पहल करने हेतु सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- नवल किशोर यादव,
स0वि0प0

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-38/2019- 361 (1) /वि.प.। पटना, दिनांक- 06.02.2019

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, माननीय उप-मुख्यमंत्री, बिहार सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 14.02.2019 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह) 06.02.2019
उपसचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 27 'अ' की उपधारा-(1) एवं 27 'आ' की उपधारा-(2) में निहित प्रावधानों के अनुसार "मुख्य पार्षद, नगरपालिका का कार्यपालक अध्यक्ष होगा और नगरपालिका प्रशासन उसके पर्यवेक्षण में कार्य करेगा और ऐसी शक्तियों एवं कृत्यों का प्रयोग करेगा जो उसे अधिनियम के द्वारा प्रदत्त है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान नगर कार्यपालक पदाधिकारी, सासाराम द्वारा इसकी घोर अवहेलना की जा रही है। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का मखौल उड़ाना उनकी दिनचर्या है। सशस्त स्थायी समिति की दिनांक-09.01.2018 के निर्णय के अनुरूप उन्होंने आदेश ही निर्गत नहीं किया, जिसमें कतिपय दैनिक वेतनकर्मी को एक माह का नोटिस देकर सेवा समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। सशक्त स्थायी समिति की कार्यवाही अपने ढंग से यह कहते हुए तैयार करती है कि यह कार्यपालक पदाधिकारी का विशेषाधिकार (discretion) है। इनके तानाशाही रवैया के चलते नगर परिषद् में किसी प्रकार का विकास नहीं हो पा रहा है।

ज्ञातव्य है कि वर्त्तमान पदस्थापन से पूर्व ये पटना जिला के परसा बाजार में यह पदस्थापित थीं, जहां अभिलेख गायब करने के आरोप में परसा बाजार थाना में इनके विरुद्ध थाना काण्ड संख्या-203/2018 दर्ज है, जिनमें इनके विरुद्ध वारंट भी जारी हुआ था। इनके विरुद्ध कई गंभीर धाराएं यथा-420,409,120-बी., 201 एवं 34 लागू हैं।

अत: नगर परिषद् सासाराम के वर्त्तमान नगर कार्यपालक पदाधिकारी को अविलम्ब इनके पद से हटाते हुए दण्डात्मक कार्रवाई के संबंध में सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./-हरिनारायण चौधरी, स.वि.प.
ह./-दिलीप कुमार जायसवाल, स.वि.प.
ह./-दिलीप कुमार चौधरी, स.वि.प. एवं
ह./-मो. कमर आलम, स.वि.प.

ज्ञापांक:-वि.प.अ.प्र.-60/2019- 405(1) वि.प. दिनांक:- 12.02.2019

प्रतिलिपि:-बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री, बिहार/ माननीय उप- मुख्यमंत्री, बिहार सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ नगर विकास विभाग, बिहार / प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-14.02.2019 बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह) 12.02.2019
उप सचिव
बिहार विधान परिषद्

माननीय सभापति महोदय,

मधेपुरा नगर परिषद् के स्टेशन रोड, पूर्णिया गोला चौक के दोनों तरफ एवं एस.एन.पी.एम. हाई स्कूल के पास एवं जीवन सदन से मुख्य सड़क तक जल जमाव से नागरिकों को, स्कूली बच्चों, छात्र-छात्राओं का आवागमन दुभर हो जाता है। जल निकासी की व्यवस्था एवं नाला का निर्माण व जल का प्रवाह गंतव्य तक कराने की योजना नहीं रहने के कारण वर्षाकाल में नगर परिषद् क्षेत्र की आबादी को जल-जमाव व उससे दुष्परिणाम से मुक्ति नहीं मिल पा रही है।

अत: मैं उक्त रोड में दोनों तरफ नालों का निर्माण हेतु सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./-ललन कुमार सर्राफ
स.वि.प.

ज्ञापांक:-वि.प.अ.प्र.-59/2019- 403(1) /वि.प. दिनांक:- 12.02.2019

प्रतिलिपि:-बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री, बिहार/ माननीय उप-मुख्यमंत्री, बिहार सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार /प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-14.02.2019 बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 12.02.2019
(नवल किशोर सिंह)
उप सचिव
बिहार विधान परिषद्

माननीय सभापति महोदय,

कटिहार में माननीय मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास एवं जिलान्तर्गत चल रहे अन्य योजनाओं से संबंधित निर्माण का शिलान्यास/निर्माण उपरान्त उद्घाटन की कोई सूचना या आमंत्रण संबंधित विभाग द्वारा नहीं दिया जा रहा है जिससे मेरे विधान परिषद् क्षेत्र अन्तर्गत निर्मित योजनाओं के शिलापट् पर नाम भी अंकित करने से वंचित किया जा रहा है।

अत: मैं सरकार से उपर्युक्त विषय पर सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./-अशोक कुमार अग्रवाल
स.वि.प.

ज्ञापांक:-वि.प.अ.प्र.-58/2019- 404(1)/ वि.प. दिनांक:- 12.02.2019

प्रतिलिपि:-बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री, बिहार/ माननीय उप-मुख्यमंत्री, बिहार सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/योजना एवं विकास विभाग, बिहार /प्रश्न शाखा/निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-14.02.2019 बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 12.02.2019
(नवल किशोर सिंह)
उप सचिव
बिहार विधान परिषद्

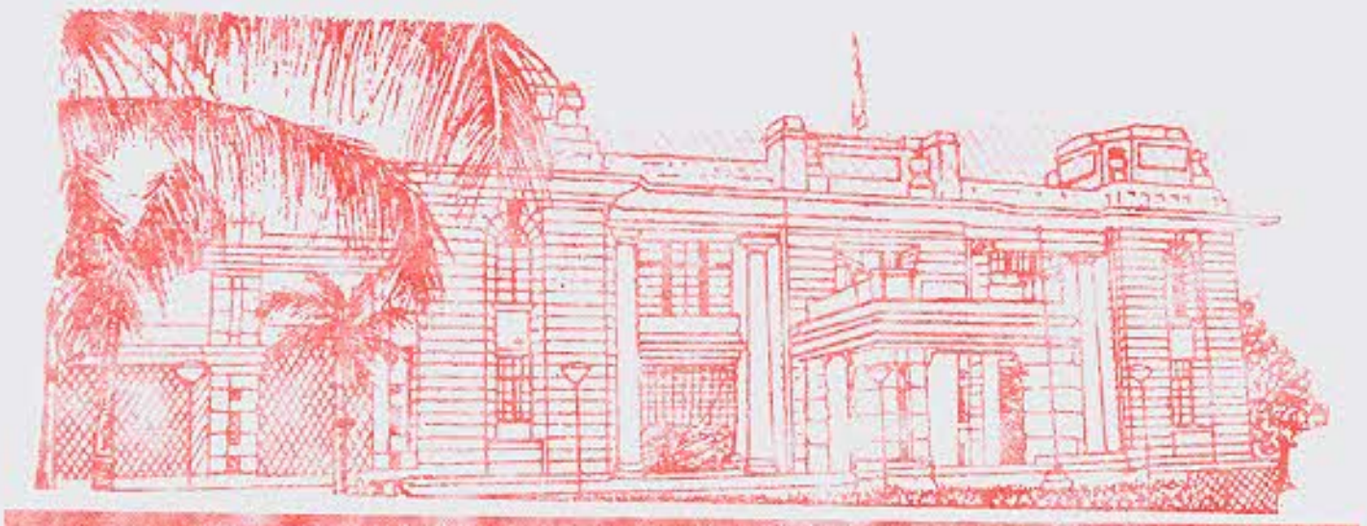

माननीय सभापति महोदय,

राज्य के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को विगत् छह से आठ माह तक वेतन नहीं मिला है। केन्द्र से इनके वेतन की रशि प्राप्त नहीं हुई है। शिक्षकों की रक्षित राशि से इन्हें सितम्बर माह 2018 में मई-जून के वेतन की राशि तो जारी की थी, लेकिन तब से अबतक इन्हें वेतन नहीं मिला है। ऐसी स्थिति अतिथि शिक्षकों की भी है। अतिथि शिक्षकों को योगदान दिये हुए छः से आठ माह हो चुके हैं, लेकिन उन्हें मानदेय के रूप में एक पैसा भी अबतक नहीं मिला है, जिससे उन शिक्षकों के समक्ष आर्थिक तंगी हो गई है।

अत: मैं सरकार से ऐसी स्थिति में राशि आवंटन करने तथा आवंटित राशि बकाये सहित प्रभावित शिक्षकों के खाते में वितरित करने हेतु सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करती हूं।

ह./-मनोरमा देवी
स.वि.प.

ज्ञापांक:-वि.प.अ.प्र.-57/2019- 406(1)/ वि.प. दिनांक:- 12.02.2019

प्रतिलिपि:-बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री, बिहार/ माननीय उप-मुख्यमंत्री, बिहार सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/मुख्य सचिव, बिहार/संसदीय कार्य विभाग, बिहार/शिक्षा विभाग, बिहार पटना/प्रश्न शाखा/निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-14.02.2019 बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 12.02.2019
(नवल किशोर सिंह)
उप सचिव
बिहार विधान परिषद्